

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

ग्यारहवां सत्र

शुक्रवार, 1 अप्रैल, 2016/12 चैत्र, 1938(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग अधिनियम, 2010 की धारा 13(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15; और

(ii) अकादमी की संविधान की धारा-21 के अन्तर्गत हिमाचल कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2013-14 ।

- (2) श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15;
 - (ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित);
 - (iii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15;
 - (iv) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15;
 - (v) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (बिजली नियामक लेखा पर विवरण प्रणाली) विनियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/एच(1)1/2014 दिनांक 22.12.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.01.2015 को प्रकाशित;
 - (vi) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन का संवर्द्धन अक्षय ऊर्जा स्रोतों से और नियम एवं शर्तें टैरिफ के निर्धारण के लिए) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/428 Vol-VIII दिनांक 11.02.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.02.2015 को प्रकाशित;
 - (vii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (तत्कालीन हि0प्र0 विद्युत बोर्ड और उतराधिकारी संस्थाओं के टर्मिनल लाभ की लागत के बटवारे के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/(5)(3)(1) दिनांक 31.03.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.04.2015 को प्रकाशित;

- (viii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (बिजली की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/419 दिनांक 22.07.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.07.2015 को प्रकाशित;
- (ix) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (छत सौर पी वी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणाली शुद्ध माप के आधार पर) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/एच(1)11/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.08.2015 को प्रकाशित;
- (x) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (बिजली की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/419 दिनांक 21.09.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22. 09.2015 को प्रकाशित;
- (xi) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (बिजली की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/419 दिनांक 19.10.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.10.2015 को प्रकाशित;
- (xii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (प्रतिभूति जमा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/414/(प्रतिभूति जमा) दिनांक 28.11.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.12.2015 को प्रकाशित;
- (xiii) राज्य सलाहकार समिति के बारे में अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:एचपीईआरसी/बी(32)-1/2013 दिनांक 23.12.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.12.2015 को प्रकाशित; और

(xiv) राज्य सलाहकार समिति के बारे में अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:एचपीईआरसी/बी(32)-1/2013 दिनांक 08.01.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.01.2016 को प्रकाशित ।

((v) से (xiv) तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम हैं)

(3) श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, विकास अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-II(बी)2-8/2006-I दिनांक 5.3.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10. 03.2016 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(4) श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) श्री अनिरुद्ध सिंह, " दिनांक 22 मार्च, 2016 को पंजाब केसरी समाचार-पत्र में छपे समाचार शीर्षक "टंकियों की सफाई पर खर्चे 16 करोड़ रुपये" से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(2) श्री पवन काज़ल, "हाल ही में हुई भारी वर्षा से कांगड़ा शहर में एकत्रित जल की निकासी हेतु उचित व्यवस्था न होने" से उत्पन्न स्थिति की ओर शहरी विकास मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

4. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

- (1) श्री हंस राज (1-चुराह), चुराह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत भारी वर्षा/भुस्खलन से क्षतिग्रस्त हुई सड़क तथा बाधित हुई विद्युत आपूर्ति को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र बहाल करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।
- (2) श्री कृष्ण लाल ठाकुर (51-नालागढ़), नालागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत रामशहर में जनहित में शीघ्रातिशीघ्र महाविद्यालय खोलने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।
- (3) श्री सुरेश कुमार (55-पच्छाद), जिला सिरमौर के सिविल अस्पताल सराहां में चिकित्सकों/पैरा मैडिकल स्टाफ के रिक्त पड़े पदों को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र भरने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।
- (4) श्री रिखी राम कौंडल (46-झण्डुता), झण्डुता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नामतः कुछेक गांवों को हो रही Low-Voltage की समस्या का जनहित में शीघ्रातिशीघ्र समाधान करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

शिमला-171 004
दिनांक: 31 मार्च, 2016

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)